

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 66/2020

अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

आत्माराम पुत्र श्री ठाकरराम जाति कुम्हार निवासी चक 11 एलएनपी एवं तहसील जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

.....वादी

बनाम

1. सहीराम
2. गजानन्द
3. चाननराम
4. बृजमोहन
5. महावीर
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

पिसरान ठाकरराम कौम कुम्हार निवासी चक 11
एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर



.....प्रतिवादीगण

उपस्थित- वादी स्वयं

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5(स्वयं)

पैरोकार राज. (प्रति.-2)

दिनांक :-04.08.2020

:-: निर्णय :-:

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 5 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर कुल रकबा 6.846 है0नहरी मय खाला दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न दावा है। वाद में वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में जो बंटवारा हुआ है वह सही नहीं हुआ है तथा जिसके एक दूसरे को अपनी भूमि काश्त करने में परेशानी हो रही है इसलिये वादी आपसी घरेलू बंटवारानुसार निम्नप्रकार से बंटवारा कर खाता विभाजन चाहता है:-

(क) आत्माराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-5/2(1265), 6(0621) मुरबा नं 0-3 5 किला नं 0-1/2(1265), 2/2(1265), 3/2(1265), 4/1(1270), 5/2(1140), 6(0555), 7(0621), 8(0621) 9(0621) 10(0621) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ख) सहीराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा :-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-16(1464), 25/1(2142), 25/2(0235) एवम् मुरबा नं0-35 किला नं0-16(1395), 17(1516), 18(1516), 19(1516) 20(1516) कुल 1.1300 हैव. नहरी मय खाला भूमि।



(ग) गजानन्द पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6(1887) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(1695), 7(1887) 8(1887) 9(1887), 10(1887) कुल 1.113 हैक्. नहरी मय खाला भूमि।

(घ) चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: - चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 34 किला नं0-15(0321), 16(1066), 24/3(1140), 24/4(0130), 25/1(0138), 25/2(0015) मुरबा नं0-35 किला नं0-11 (0321), 12(0321) 13(0321) 14(0321), 15(0305) 16(0864), 17(0988), 18(0988) 19(0988), 20(0988) कुल 0.9215 हैक्. नहरी मय खाला भूमि।

(2) चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 34 किला नं0-6(0022), 15(0407) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(0030), 7(0022), 8(0022) 9(0022) 10(0022), 11(0407), 12(0407) 13(0407) 14(0407) 15(0355) कुल 0.2530 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ड) महावीर पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 34 किला नं0-15(1802) मुरबा नं0-35 के किला नं0-11(1802), 12(1802) 13(1802) 14(1802) 15(1620) कुल 1.063 हैक्. नहरी मय खाला भूमि।

(च) वृजमोहन पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 35 किला नं0-16(0021), 17(0026), 18(0026), 19(0026), 20(0026), 21/2(0910), 21/3(1370), 21/4(0250), 22/1(2280), 22/2(0250), 23/1(2280), 23/2(0250), 24/1(2280), 24/2(0250), 25/1(2030), 25/2(0250) कुल 1.2525 है0 नहरी मय खाला भूमि।

वादी अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि का घरेलू बंटवारानुसार अलग से लगान कायम करवाने व इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करने हेतु उक्तानुसार बंटवारा करना चाहता है जिससे वादी के हिस्से की कृषि भूमि की पानी की पर्ची, लगान आदि वादी के नाम से अलग से की जा सके जिसके लिए खाता तकसीम किया जाना कानूनी आवश्यक है। वादी ने घरेलू बंटवारानुसार उक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवाकर खाता तकसीम करवाने के लिए कई बार प्रतिवादी संख्या-1 ता 5 से आग्रह किया लेकिन हर बार प्रतिवादीगण आजकल-आजकल करते हैं तथा बार-बार आगे से आगे टरकाते रहे हैं अब दिनांक 18-07-2020 को जब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त वर्णित रकबा का घरेलू बंटवारा अनुसार बंटवारा करने से साफ इनकारी कर दी तथा इनकारी से ही वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी मुताबिक घरेलू बंटवारा अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पैरा स0-3 में वर्णितानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से खातेदारी रकबा दर्ज करवाने का अधिकारी है इसलिये बंटवारा किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से खाता विभाजन डिकी जारी की जावे:

(क) आत्माराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-5/2(1265), 6(0621) मुरबा नं0-35 किला नं0-1/2(1265), 2/2(1265), 3/2(1265), 4/1(1270), 5/2(1140), 6(0555), 7(0621), 8(0621) 9(0621) 10(0621) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ख) सहीराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-16(.1464), 25/1(.2142), 25/2(.0235) एवम् मुरबा नं 0-35 किला नं0-16(.1395), 17(.1516), 18(.1516), 19(.1516) 20(.1516) कुल 1.1300 हैक्. नहरी मय खाला भूमि।

(ग) गजानन्द पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6(.1887) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(.1695), 7(.1887) 8(.1887) 9(.1887), 10(.1887) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।



(घ) चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -(1)चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 34 किला नं0-15(.0321), 16(.1066), 24/3(.1140), 24/4(.0130), 25/1(.0138), 25/2(.0015) मुरबा नं0-35 किला नं0-11(.0321), 12(.0321) 13(.0321) 14(.0321), 15(.0305) 16(.0864), 17(.0988), 18(.0988) 19(.0988), 20(.0988) कुल 0.9215 है0 नहरी मय खाला भूमि ।

चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: - चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6(.0022), 15(.0407) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(.0030), 7(.0022), 8(.0022) 9(.0022) 10(.0022), 11(.0407), 12(.0407) 13(.0407) 14(.0407) 15(.0355) कुल 0.2530 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ड) महावीर पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0- 34 किला नं0-15(.1802) मुरबा नं0-35 के किला नं0-11(.1802), 12(.1802) 13(.1802) 14(.1802) 15(.1620) कुल 1.063 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(च) बृजमोहन पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:- चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-35 किला नं0-16(.0021), 17(.0026), 18(.0026), 19(.0026), 20(.0026, 21/2(.0910), 21/3(.1370), 21/4(.0250), 22/1(.2280), 22/2(.0250), 23/1(.2280), 23/2(.0250), 24/1(.2280), 24/2(.0250), 25/1(.2030), 25/2(.0250) कुल 1.2525 हैक्. नहरी मय खाला भूमि ।

2- खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

3- अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में प्रदान किया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 5 के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाक चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर कुल रकबा 6.846 है0 नहरी मय खाला दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है जिसके सम्बन्ध में वादी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवारा करने के सम्बन्ध में खाता विभाजन करवाने के लिये दावा अन्तर्गत धारा-53 आर.टी.ए. एक्ट के तहत पेश किया हुआ है जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते तलबी मुकदमा है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर सगे भाई हैं जोकि आपस में मुकदमेबाजी चलने से मन-मुटाव एवम द्वेषभावना बढ़ने की सम्भावना रहती है जिससे समय एवं धन की बर्बादी होती है इसलिये वादी व प्रतिवादीगण ने इस दावा में वर्णित कृषि भूमि का आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है जो निम्न प्रकार से है: -



(क) आत्माराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-5/2(1265), 6(0621) नं0-35 किला नं 0-1/2(1265), 2/2(1265), 3/2(1265), 4/1(1270), 5/2 (1140), 6(0555), 7(0621), 8(0621) 9(0621) 10(0621) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ख) सहीराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-16(1464), 25/1(2142), 25/2(0235) एवम मुरबा नं0- 35 किला नं0-16(1395), 17(1516), 18(1516), 19(1516) 20(1516) कुल 1.1300 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ग) गजानन्द पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6(1887) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(1695) 7(1887) 8(1887) 9(1887), 10(1887) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(घ) चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -(1)चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-15(0321) ,16(1066),24/3(1140), 24/4(0130), 25/1(0138), 25/2(0015) मुरबा नं0-35 किला नं0-11 (0321), 12(0321) 13(0321) 14(0321), 15(0305) 16(0864), 17(0988), 18(0988) 19(0988), 20(0988) कुल 0.9215 है0 नहरी मय खाला भूमि ।

चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा: -(2)चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6 (0022), 15(0407) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(0030), 7(0022), 8(0022) (0022) 10 (0022), 11(0407),12(0 407) 13(0407) 14(0407) 15(03 55) कुल 0.2530 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(ड) महावीर पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-15(1802) मुरबा नं0-35 के किला नं0-11(1802), 12(1802) 13(1802) 14(1802) 15(1620) कुल 1.063 है0 नहरी मय खाला भूमि।

(च) बृजमोहन पुत्र श्री ठाकरराम का हिस्सा:-चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-35 किला नं0-16(0021), 17(0026), 18(0026), 19(0026), 20(0026), 21/2(0910), 21/3(1370), 21/4(0250), 22/1(2280), 22/2(0250), 23/1(2280), 23/2(0250), 24/1(2280), 24/2(0250), 25/1 (2030), 25/2(0250) कुल 1.2525 है0 नहरी मय खाला भूमि। उक्तानुसार बंटवारा करने से किसी भी पक्षकार को कोई किसी प्रकार से उजर-एतराज नही होगा तथा जिसमें हमारी पूर्ण रजामंदी व सहमति मानी जावेगी।

जिस सम्बन्ध में भविष्य में कोई किसी प्रकार का उजर एतराज,क्लेम आदि नही करेगे तथा करेगे तो झूठा ही माना जावेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा में वर्णित कृषिभूमि का बंटवारा आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिकी करने का फैसला करते हुए राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि का अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है तो दोनों पक्षकारान को को कोई किसी प्रकार की उजर-एतराज एवं आपत्ति नही होगी। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से जवाब तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ

पत्र अनुसार वादी के पिता ठाकर राम के समस्त वारिसान वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 72, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 71/47, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 12/6, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 37/34, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 31/31, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) से ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 127/100 पेश की। वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2051 ग्राम 6 एलएनपी, पटवार हल्का 6 एलएनपी खाता संख्या 36/06 पेश की। वादी द्वारा विरास्तन इन्तकाल क्र.सं. 213 दिनांक 23.03.86 पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

पक्षकारान मध्य पारिवारिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

—:: आदेश ::—



पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पक्षकारान को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	आत्माराम पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-5/2(0.1265), 6(0.0621) मरबा नं0-35 किला नं 0-1/2(0.1265), 2/2(0.1265), 3/2(0.1265), 4/1 (0.1270), 5/2(0.1140), 6(0.0555), 7(0.0621), 8(0.0621) 9(0.0621) 10(0.0621) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि
2	सहीराम पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-16(0.1464), 25/1(0.2142), 25/2(0.0235) एवम मुरबा नं0- 35 किला नं0-16(0.1395), 17(0.1516), 18(0.1516), 19(0.1516) 20(0.1516) कुल 1.1300 है0 नहरी मय खाला भूमि
3	गजानन्द पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-6(0.1887) मुरबा नं0-35 किला नं0-6(0.1695) 7(0.1887) 8(0.1887) 9(0.1887), 10(0.1887) कुल 1.113 है0 नहरी मय खाला भूमि।
4	चाननराम पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं0-34 किला नं0-15(0.0321) ,16(0.1066), 24/3(0.1140), 24/4(0.0130), 25/1(0.0138), 25/2(0.0015) मुरबा नं0-35 किला नं0-11 (0.0321), 12(0.0321) 13(0.0321) 14(0.0321), 15(0.0305) 16(0.0864), 17(0.0988), 18(0.0988) 19(0.0988), 20(0.0988) कुल 0.9215 है0 नहरी मय खाला भूमि
5	चाननराम पुत्र	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा

	श्री ठाकरराम	नं0-34 किला नं0-6 (0.0022), 15(0.0407) मुरवा नं0-35 किला नं0-6(0.0030), 7(0.0022), 8(0.0022) 9(0.0022) 10(0.0022), 11(0.0407), 12(0.0407) 13(0.0407) 14(0.0407) 15(0.0355) कुल 0.2530 है0 नहरी मय खाला भूमि
6	महावीर पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरवा नं0-34 किला नं0-15(0.1802) मुरवा नं0-35 के किला नं0-11(0.1802), 12(0.1802) 13(0.1802) 14(0.1802) 15(0.1620) कुल 1.063 है0 नहरी मय खाला भूमि।
7	बृजमोहन पुत्र श्री ठाकरराम	चक 6 एलएनपी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरवा नं0-35 किला नं0-16(0.0021), 17(0.0026), 18(0.0026), 19(0.0026), 20(0.0026, 21/2(0.0910), 21/3(0.1370), 21/4(0.0250), 22/1(0.2280), 22/2(0.0250), 23/1(0.2280), 23/2(0.0250), 24/1(0.2280), 24/2(0.0250), 25/1(0.2030), 25/2(0.0250) कुल 1.2525 है0 नहरी मय खाला भूमि

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाप शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हरतादार एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.08.2020 को जारी किया गया।



04.08.20
(उम्मेद सिंह सूतन)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर